

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खंड (i)
PART II — Section 3 — Sub-Section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 1997/माघ 26, 1918 NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 1997/MAGHA 26, 1918

No. 64]

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1997

सा. का. नि. 78(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1997 का 5) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए ,1 मार्च, 1997 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 1/5/97-सी एल V] आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 1997

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 1996 (5 of 1997), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 1997, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 1/5/97-CL.V] R. D. JOSHI, Jt. Secy.